बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 407245

ग्रा0वि0-5/(मु0क्र0स्वी0)बजट-106-05/2018

पटना, दिनांक 21/01/19

प्रेषक,

राधा किशोर झा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय :- **वित्तीय वर्ष 2018-19 में "मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना" के कार्यान्वयन हेतु विपत्र कोड 42-2216031020101,विपत्र कोड 42-2216037890104 एवं विपत्र कोड 42-2216037960103 के अंतर्गत क्रमशः 7200.00 लाख (बहत्तर करोड़), 3600.00 लाख (छतीस करोड़) तथा 1200.00 लाख (बारह करोड़) रूपये कुल 12000.00 लाख (एक अरब बीस करोड़) रूपये मात्र के आवंटन के संबंध में ।**

प्रसंग :- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-406575 दिनांक-16.01.2019

महाशय,

निदेशानुसार प्रसंगिक स्वीकृत्यादेश के माध्यम से "मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना" के अंतर्गत चयनित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में शामिल वैसे लाभार्थी जिन्हें वास भूमि उपलब्ध नहीं रहती है, उन्हें वास भूमि क्रय हेतु प्रति लाभर्थी 60,000/- रूपये की दर से सहायता राशि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चालू वित्तीय वर्ष के बजट उपबंध के अधीन 12000.00 (एक अरब बीस करोड़) रूपये की स्वीकृति दी गई है ।

2. उक्त स्वीकृति के अधीन मॉग संख्या- 42, योजना मुख्य शीर्ष 2216 के अंतर्गत 12000.00 लाख (एक अरब बीस करोड़) रूपये का आवंटन उप शीर्षवार निम्नवत् किया जाता है:-

(i) योजना मुख्य शीर्ष-2216-आवास, उप मुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण आवास, लघु शीर्ष-102-भूमिहीनों के लिए आवास स्थल की व्यवस्था, उप शीर्ष-0101-मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना, विषय शीर्ष-3105-सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड-42-2216031020101 के तहत 7200.00 लाख (बहत्तर करोड़) रूपये ।

(ii) योजना मुख्य शीर्ष-2216-आवास, उप मुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण आवास, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0104-मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना, विषय शीर्ष-3105-सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड-42-2216037890104 के तहत 3600.00 लाख (छत्तीस करोड़) रूपये ।

(iii) योजना मुख्य शीर्ष-2216-आवास, उप मुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण आवास, लघु शीर्ष-796- जन-जातीय क्षेत्रीय उप योजना, उप शीर्ष-0103-मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना, विषय शीर्ष-3105-सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड-42-2216037960103 के तहत 1200.00 लाख (बारह करोड़) रूपये।

3. विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना उक्त आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी ।

4. वित्त विभाग के पत्र सं0-3234 दिनांक-04.05.18 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के व्यय हेतु वित्त विभागीय पत्र सं0-2561 वि.(2) दि0-17.04.98 की कंडिका-2 में प्रावधानित बंधेज को पूर्ण रूप से शिथिल किया गया है । इस आवंटित राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्र सं0-2561 वि.(2) दि0-17.04.98 एवं इस संदर्भ में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रावधानों एवं बंधेजों के अंतर्गत की जायेगी ।

5. वित्त विभाग के पत्र सं0-7355 वि.(टि.) दिनांक-05.10.07 में निहित निदेश के आलोक में स्वीकृत राशि की कोषागार से निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवंटित राशि की निकासी कर बिहार रूरल डेभलपमेन्ट सोसाईटी (BRDS) के संचालनाधीन BRDS, Mukhyamantri Vass Sthal Kray Sahayata Yojna के नाम से ICICI बैंक, किदवईपुरी शाखा, आयकर गोलम्बर के निकट, पटना-800001 में संधारित बचत खाता संख्या-431701000024, IFSC Code-ICIC0004317, MICR Code-800229028 में जमा किया जायेगा तथा विभागीय निदेश के आलोक में उक्त बैंक खाता से राशि का FTO (Fund Transfer Order) के माध्यम से व्यय किया जायेगा ।
7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आवंटित राशि की निकासी के पश्चात् बैंक खाता में जमा कर के विभागीय प्रशाखा-5 को सूचित करेंगे तथा कोषागार प्रमाणक एवं तिथि सहित निकासी की गई राशि की विवरणी महालेखाकार, बिहार/वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10) को अविलम्ब उपलब्ध करायेंगें ।
8. उक्त जमा राशि का लेखा-जोखा, आदि का संधारण बिहार रूरल डेवलपमेन्ट सोसाईटी (BRDS) द्वारा अलग से किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध कराया जायेगा ।
9. इसकी सूचना महालेखाकार (ले.ह.), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना तथा वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन

(राधा किशोर झा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 407245 पटना, दिनांक 21/01/19

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 407245 पटना, दिनांक 21/01/19

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 407245 पटना, दिनांक 21/01/19

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार रूरल डेभलपमेन्ट सोसाईटी (BRDS), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- विभागीय बजट प्रशाखा-10/सांख्यिकी प्रकोष्ठ/आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा-5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । इसकी एक प्रति प्रशाखा-5 के रक्षी पंजी में संधारित की जाएगी ।

प्रतिलिपि- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव